अत्यावश्यक / तत्काल

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26–किसान भवन अरेरा हिल्स, जेलरोड, भोपाल

कमांक–बोर्ड / बी–6 / 1–3 / उपविधि / 2897 भोपाल, दिनांक 09 / 11 / 2016

प्रति,

1. अपर / संयुक्त / उप संचालक
   मध्य प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड
   ऑचलिक कार्यालय ..... (समस्त)

2. अध्यक्ष
   कृषि उपज मंडी समिति .....(समस्त)

3. सचिव,
   कृषि उपज मंडी समिति .....(समस्त)

——000——

मंडी समितियों के लिये "उपविधि सन–2000" के **अध्याय चार** में मंडी समिति द्वारा अधिसूसचित कृषि उपज के विपणन का नियंत्रण हेतु निर्धारित कंडिका 16 (ज) के अंत में स्थापित **परन्तुक** के अनुसार निम्नानुसार प्रावधानित हैं :–

(16) (ज) – परन्तु, मंडियों में साप्ताहिक अवकाश के अतिरिक्त यदि निगोशियेबल इन्सट्रूमेंट एक्ट अंतर्गत घोषित बैंकिंग अवकाश या अन्य घोषित सार्वजनिक अवकाश के कारण लगातार दो दिवस या इससे ज्यादा मंडी मे अवकाश की स्थिति निर्मित हो रही होगी, तो मंडी समिति के लिये यह आवश्यक होगा कि वह आंचलिक संयुक्त संचालक / उप संचालक के लिखित अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही ऐसे अवकाशो को घोषित करे अन्यथा नही। संयुक्त संचालक / उप संचालक, आंचलिक कार्यालय, जनहित में मंडी के द्वारा पूर्व घोषित अवकाश को निरस्त कर सकेगे, परन्तु उनके द्वारा मण्डी अवकाश निरस्तीकरण के लिए विधिवत् कारण सहित आदेश जारी किया जावेगा।

2. भारत सरकार के राजपत्र कमांक 2652, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) अधिसूचना दिनांक 08.11.16 के अनुसार भारतीय रिर्जव बैक के सिफारिश पर विद्यमान श्रृंखलाओं की पॉच सौ रूपये और एक हजार रूपये के अंकित मूल्य के बैक नोट दिनांक 08.11.16 की मध्य रात्रि से वैद्य मुद्रा नही रही है।

3. केन्द्र शासन के निर्देश पर कंडिका 02 में उल्लेखित कारणों से दिनांक 09.11.16 को देश के सभी शासकीय, सहकारी एवं निजी बैंक में केन्द्र शासन ने अवकाश घोषित किया गया।

4. दिनांक **10.11.16** (गुरूवार) से मंडियों में नियमित निलामी की प्रकिया आरम्भ किये जाने के लिये मंडी समिति को मंडी अधिनियम तथा उपविधि में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला प्रशासन, मंडी लांयसेसी व्यापारी प्रतिनिधियों तथा बैंक प्रतिनिधियों से चर्चा कर कार्य आरम्भ किया जाना है तथा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि किसानों के द्वारा लाई गई अधिसूचित कृषि जिन्सों की विधिवत निलामी पूर्ण कराकर भुगतान भारतीय रिर्जव बैंक वैद्य मुद्रा में, आर.टी.जी.एस, बैंक ड्राफ्ट आदि से मंडी अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत ही सम्पन्न हो। यह प्रकिया लांयसेसी व्यापारी द्वारा खरीदी गई जिन्सों के निर्गम हेतु जारी की जाने वाली अनुज्ञा पत्रों के लिये भी लागू होगी।

5. मंडी सचिव का यह दायित्व होगा कि वह मंडी अधिनियम एवं उपविधि के प्रावधान के अंतर्गत ही किसानों को भुगतान एवं मंडी समितियों में राशि की प्राप्तियॉ सुनिश्चित करें एवं मंडी समितियों को वैद्य मुद्रा में भुगतान या मंडी समिति के बैंक खाते में राशि हस्तारण की पुष्टि बैंक पासबुक में कराने के उपरांत ही अनुज्ञा पत्र जारी किये जाए।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिशिचत की जाए ।

(राकेश श्रीवास्तव)
प्रबंध संचालक

कमांक–बोर्ड/बी–6/1–3 /उपविधि/2898 भोपाल, दिनांक 09/11/2016

प्रतिलिपिः–

1– विशेष सहायक, मान0 अध्यक्ष, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

2– प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल।

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

अत्यावश्यक / तत्काल

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26–किसान भवन अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक–बोर्ड / बी–6 / 1–3 / उपविधि / 2116 भोपाल, दिनांक 10 / 11 / 2016

प्रति,

1. अध्यक्ष
   कृषि उपज मंडी समिति .....(समस्त)

2. सचिव,
   कृषि उपज मंडी समिति .....(समस्त)

3. अपर / संयुक्त / उप संचालक
   मध्य प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड
   ऑचलिक कार्यालय ..... (समस्त)

——000——

कृषि उपज मंडी अधिनियम की धारा 37 के अनुसार अधिसूचित कृषि जिन्स के क्रय तथा विक्रय की शर्तें निर्धारित की गई है। अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (2) (क) के अनुसार मंडी प्रांगण में क्रय की गई कृषि उपज की कीमत का भुगतान विक्रेता को उसी दिन मंडी प्रांगण में किये जाना अनिवार्य है।

2. राज्य शासन के द्वारा समर्थन मूल्य पर अधिसूचित जिन्सों के क्रय उपरांत समस्त किसानों को 100 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अर्थात आर.टी.जी.एस (RTGS) के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था कराई गई है, जो कि विगत वर्षो से कारगर रूप से प्रचलन में है।

3. उपरोक्त क्रम में ही कृषि मंडियो में किसानों द्वारा निलामी उपरांत बेची गई अधिसूचित कृषि जिन्सों का भुगतान जोखिम रहित, त्वरित कराये जाने के लिये राज्य शासन द्वारा अपनाई गई प्रकिया (RTGS) को अधिकाधिक प्रचारित एवं प्रसारित करते हुए प्रभावी तौर पर अपनाएँ जाने के लिये प्रोत्साहित किये जाना आवश्यक है।

4. संलग्न **परिशिष्ट – एक** के साथ जानकारी किसानों के द्वारा मंडी प्रांगण में अपनी अधिसूचित जिन्सों के बेचने के समय मूल रूप से तथा उसकी कम से कम तीन छायाप्रति साथ रखने की समझाइश देने के लिये प्रांगण में फ्लेक्स बैनर लगाकर और नियमित रूप से निरंतर उदद्योषणा कराये जाने के साथ साथ मंडी के लांयसेसी व्यापरियों को भी किसानों को आर.टी.जी.एस. (RTGS) के माध्यम से भुगतान करने एवं आर.टी.जी.एस. (RTGS) का विकल्प चुनने के लिये के प्रोत्साहित करने का अनुरोध किया जाए।

5. किसान के द्वारा संलग्न **परिशिष्ट – एक** की कंडिका 03 में उल्लेखित जानकारी की छायाप्रति जिसे उसके द्वारा मूलतः सत्यापित किया गया हो, पर आर.टी.जी.एस. (RTGS) से भुगतान प्राप्त करने की सहमति अंकित कराते हुए निलामी उपरांत निष्पादित अनुबंध पत्र की, मंडी एवं व्यापारियों की प्रतियों के साथ संलग्न किये जायें।

6. उपरोक्त कार्यवाही निरंतर रहेगी और पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि, नगद भुगतान या आर.टी.जी.एस. (RTGS) से भुगतान या बैक ड्रॉफ्ट या बैंकर्स चैक से भुगतान प्राप्त करने का विकल्प, किसान के द्वारा अपनी स्वेच्छा से ही लिया जाएगा।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिशिचत की जाए ।

संलग्नः– **परिशिष्ट – एक**

(राकेश श्रीवास्तव)
प्रबंध संचालक

कमांक–बोर्ड/बी–6/1–3 /उपविधि/2917 भोपाल, दिनांक 10/11/2016

प्रतिलिपिः–

1– विशेष सहायक, मान0 अध्यक्ष, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

2– प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल।

3– कलेक्टर जिला..... म0प्र0 (समस्त) ।

10.11.16
प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

परिशिष्टः—एक

आर.टी.जी.एस. .(RTGS) से भुगतान प्राप्त करने के लिये आवश्यक जानकारी

1— किसान का नाम

2— किसान के नाम से बैंक खाते की पास बुक जिसमें स्पष्ट रूप से,

- ✓ खाता कमांक
- ✓ बैंक शाखा का नाम एवं शाखा कोड,
- ✓ आर्यॅ.एफ.सी. कोड (IFSC)

की जानकारी अंकित हो।

3— कंडिका 02 में उल्लेखित जानकारी वाले बैंक पास बुक पृष्ठ की कम से कम तीन छायाप्रतियॉ जिस पर किसान के द्वारा मूलतः हस्ताक्षर कर सत्यापन किया गया हो।

अत्यावश्यक / तत्काल

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26–किसान भवन अरेरा हिल्स, भोपाल

कमांक–बोर्ड / बी–6 / 1–3 / उपविधि / 2924 भोपाल, दिनांक 11 / 11 / 2016

प्रति,

1. अध्यक्ष
   कृषि उपज मंडी समिति .....(समस्त)

2. सचिव,
   कृषि उपज मंडी समिति .....(समस्त)

3. अपर / संयुक्त / उप संचालक
   मध्य प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड
   ऑचलिक कार्यालय ..... (समस्त)

——000——

कृषि उपज मंडी अधिनियम की धारा 37 के अनुसार अधिसूचित कृषि जिन्स के कय तथा विकय की शर्ते निर्धारित की गई है। अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (2) (क) के अनुसार मंडी प्रांगण में कय की गई कृषि उपज की कीमत का भुगतान विकेता को उसी दिन मंडी प्रांगण में किये जाना अनिवार्य है। इस संदर्भ में मंडी बोर्ड के आदेश कमांक / बोर्ड / बी–6 / 1–3 / उपविधि / 2916 दिनांक 10.11.2016 का अवलोकन करें।

1. राज्य शासन के द्वारा किसान हित एवं मंडी के लायसेंसी व्यापारियों की सहुलियत हेतु यह निर्णय लिया गया है कि अधिसूचित कृषि जिन्सों का नीलामी के उपरांत भुगतान नगद, आर.टी.जी.एस., बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक या अकाउंट पेयी चैक के माध्यम से करने की जानकारी का मंडियों में दैनिक रूप से किसानों के मध्य प्रचार–प्रसार किया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि किसान को भुगतान की प्रकिया का विकल्प चुनने का अधिकार पारदर्शी रूप से उपलब्ध रहे।

2. सचिव कृषि उपज मंडी समिति का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि अकाउंट पेयी चेक से किसान को भुगतान होने की दशा में भुगतान करने वाले संबंधित लायसेंसी व्यापारी की कय क्षमता के अनुसार जीवित प्रतिभूति मंडी में जमा हो और संबंधित व्यापारी अपनी कय क्षमता से अधिक का कय मंडी में सम्पन्न न कर पाये।

3. कपास आवक वाली 16 मंडियों में कॉटन कार्पोरशन ऑफ इंडिया के द्वारा समर्थन मूल्य पर कपास की खरीदी केन्द्र स्थापित किये गये है। संबंधित मंडी समितियों के सचिव का यह दायित्व होगा कि वह इन केन्द्रों को व्यवस्थित कर कियाशील करायें।

4. धान एवं मक्का आवक वाली मंडियों में जिला प्रशासन से संपर्क कर सचिव कृषि उपज मंडी समिति के द्वारा समर्थन मूल्य की खरीदी की व्यवस्थायें तत्काल कराई जाकर इन्हें कियाशील कराई जाये और इनका व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जावे।

5. मूंग आवक वाली मंडियों में समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिये शासन द्वारा नियुक्त संस्थायें SFAC, भारतीय खाद्य निगम, नाफेड को मंडी में नियमानुसार संपूर्ण सुविधायें प्रदान कर किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ दिलवाया जायेगा तथा केन्द्र शासन की योजना "प्राईज स्टेबलाईजेशन" अंतर्गत SFAC, भारतीय खाद्य निगम, नाफेड को बाजार भाव पर तुअर एवं उड़द खरीदी हेतु भी उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

6. मंडियों में सचिव कृषि उपज मंडी समिति द्वारा मध्यप्रदेश भण्डार गृह निगम के द्वारा कृषकों एवं व्यापारियों को भण्डारण शुल्क में प्रदान की जा रही छूट (परिशिष्ट–एक पर जानकारी संलग्न है) का फ्लेक्स लगाकर प्रचार–प्रसार कराया जावेगा।

7. फल–सब्जी मंडियों में किसानों को असुविधा न हो, इसकी सतत् एवं निरन्तर मॉनिटरिंग सचिव कृषि उपज मंडी समिति के द्वारा की जावेगी।

8. सचिव कृषि उपज मंडी समिति द्वारा मध्यप्रदेश भण्डार एवं लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन के माध्यम से मंडी समिति के प्रांगण में उपलब्ध मंडी समिति के गोदामों में 15 दिसम्बर 2016 तक किसानों को निःशुल्क भण्डारण सुविधा प्रदान करने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी और इसकी सूचना किसानों को मंडी प्रांगण में जानकारी का प्रदर्शन कर तत्काल प्रभाव से की जायेगी।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संलग्नः– **परिशिष्ट – एक**

(राकेश श्रीवास्तव)
प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक–बोर्ड/बी–6/1–3 /उपविधि/2925 भोपाल, दिनांक 11/11/2016

प्रतिलिपिः–

1– विशेष सहायक, मान0 अध्यक्ष, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

2– प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल।

3– प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार एवं लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, भोपाल।

4– प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल।

5– कलेक्टर जिला..... म0प्र0 (समस्त) ।

6– क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, भोपाल।

7– क्षेत्रीय प्रबंधक, कॉटन कार्पोरेशन इंडिया, इंदौर।

8– क्षेत्रीय प्रबंधक, नाफेड।

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

MPWLC

परिशिष्ट

कृषकों/व्यापारियों को भंडारण शुल्क दर में प्रस्तावित छूट का विवरण

क्र.	वस्तु का नाम	पैंकिग का प्रकार	भंडारण दर प्रतिमाह रू/पैसे	प्रस्तावित सामान्य छूट प्रतिशत में	छूट उपरांत दर प्रतिमाह रू./पैसे	सामान्य कृषक		कृषक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	
						200 क्विं प्रति सीजन में		200 क्विं प्रति सीजन में	
						अतिरिक्त छूट प्रतिशत में	दर रू./पैसे	अतिरिक्त छूट प्रतिशत में	दर रू./पैसे
1	सोयाबीन	50 से अधिक 100 किलो तक	9.90	25	7.43	30	5.21	40	4.46
		50 किलो या इससे कम	6.05	25	4.54	30	3.18	40	2.73
2	खाद्यान्न (समस्त प्रकार के)	50 से अधिक 100 किलो तक	9.90	15	8.42	30	5.90	40	5.05
		50 किलो या इससे कम	6.05	15	5.15	30	3.61	40	3.09
3	दलहन/ तिलहन (समस्त प्रकार के)	50 से अधिक 100 किलो तक	10.50	15	8.93	30	6.26	40	5.36
		50 किलो या इससे कम	6.20	15	5.27	30	3.69	40	3.17
4	धान	75 से अधिक 100 किलो तक	11.80	15	10.03	30	7.03	40	6.03
		50 किलो से 75 किलो तक	10.85	15	9.23	30	6.47	40	5.54
		50 किलो या इससे कम	8.15	15	6.93	30	4.86	40	4.16

अत्यावश्यक / तत्काल

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26–किसान भवन अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक–बोर्ड / बी–6 / 1–3 / उपविधि / 2934 भोपाल, दिनांक 16 / 11 / 2016

प्रति,

1. अध्यक्ष
   कृषि उपज मंडी समिति .....(समस्त)

2. सचिव,
   कृषि उपज मंडी समिति .....(समस्त)

3. अपर / संयुक्त / उप संचालक
   मध्य प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड
   ऑचलिक कार्यालय ..... (समस्त)

संदर्भः–बोर्ड / बी–6 / 1–3 / उपविधि / 2897 दिनांक 09.11.2016 के संदर्भ में।

———000———

कृषि उपज मंडी अधिनियम की धारा 19 के अनुसार, अधिसूचित कृषि जिन्स के केता से मंडी फीस का उद्ग्रहण किया जाता है और तदोपरांत अधिनियम की धारा 19(6) के प्रावधान अनुसार ऐसी अधिसूचित कृषि जिन्स की मात्रा जिसके लिये मंडी फीस का भुगतान हो गया है, अनुज्ञा पत्र जारी किया जाता है ।

2. भारत सरकार के राजपत्र क्रमॉक 2652, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना दिनॉक 08.11.2016 के अनुसार भारतीय रिर्जव बैंक की सिफारिश पर तत् समय विद्यमान श्रृंखलाओं के पॉच सौ और एक हजार रूपये के अंकित मूल्य के बैंक नोट दिनॉक 08.11.2016 की मध्य रात्रि से वैद्य मुद्रा नहीं रही है ।

3. अतः मंडी के लायसेंसी व्यापारियों की सुविधा के लिये यह निर्देशित किया जाता है कि, क्रय उपरांत अधिसूचित कृषि उपज पर देय मंडी फीस का भुगतान, मंडी समिति को नगद, आर.टी.जी.एस., बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक या अकाउंट पेयी चैक के माध्यम से किया जा सकता है। नगद, आर.टी.जी.एस., बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक से प्राप्त मंडी फीस भुगतान के आधार पर भुगतान उपरान्त तत्काल संबंधित को अनुज्ञा पत्र जारी किया जा सकता है।

4. लायसेंसी व्यापारी के द्वारा यदि क्रॉस चैक के माध्यम से मंडी फीस का भुगतान किया जाता है तो मंडी सचिव का यह दायित्व होगा कि वह लायसेंसी व्यापारी से लिखित में यह घोषणा प्राप्त करे कि, चैक, बैंक में प्रस्तुत करने पर किसी भी कारण से बैंक द्वारा यदि वापिस किया जाता है तो इस चैक के आधार पर उसे

जारी किये गये अनुज्ञा पत्र निरस्त माने जावेगे और वह मंडी अधिनियम की धारा 19 (4) के अनुसार मंडी फीस भुगतान का दायी होगा।

5. उपरोक्त कंडिका–4 अनुसार क्रॉस चैक के साथ मंडी के लायसेंसी व्यापारी के लेटरपेड पर तथा लायसेंसी व्यापारी के हस्ताक्षर एवं सील लगी हुई घोषणा की मूल प्रति प्राप्त होने पर ही मंडी सचिव के द्वारा संबंधित लायसेंसी व्यापारी को प्राप्त क्रॉस चैक में अंकित राशि के विरूद्ध अनुज्ञा पत्र जारी किया जा सकता है, परन्तु मंडी सचिव का यह भी दायित्व होगा कि वह घोषणा–पत्र को मंडी के रिकार्ड में सुरक्षित रूप से संधारित कराये और शीघ्रातिशीघ्र बिना कोई विलंब किये प्राप्त क्रॉस चैक को मंडी के बैंक खाते में जमा करा कर, चैक से राशि मंडी के खाते में जमा होने की पुष्टि कराये।

6. उपरोक्त कंडिका–4 में वर्णन अनुसार यदि यह पाया जाता है कि लायसेंसी व्यापारी के द्वारा मंडी को प्रस्तुत क्रॉस चैक बैंक के द्वारा किसी भी कारण से वापस किया गया है/अमान्य किया गया है तो संदर्भित चैक के आधार पर मंडी समिति द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र (अनुज्ञा पत्र जारी होने की दिनांक एवं समय से ही) अमान्य घोषित होगा और संबंधित लायसेंसी व्यापारी से मंडी अधिनियम की धारा 19 (4) के प्रावधान अनुसार मंडी फीस की वसूली की कार्यवाही सचिव, कृषि उपज मंडी समिति द्वारा की जायेगी।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(राकेश श्रीवास्तव)
प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

कमांक–बोर्ड/बी–6/1–3 /उपविधि/2935 भोपाल, दिनांक 16/11/2016

प्रतिलिपिः–

1– विशेष सहायक, मान0 अध्यक्ष, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

2– प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल।

3– प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार एवं लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, भोपाल।

4– प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल।

5– कलेक्टर जिला ..... म0प्र0 (समस्त) ।

6– क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, भोपाल।

7– क्षेत्रीय प्रबंधक, कॉटन कार्पोरेशन इंडिया, इंदौर।

8– क्षेत्रीय प्रबंधक, नाफेड।

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल